न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 264/2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/186

प्रार्थीगण

1. जुगलकिशोर पुत्र भंवरलाल
2. सन्तोष पत्नी किशोरराम
   जातियान जटिया, निवासीगण ग्राम दईजर, तहसील व जिला जोधपुर।
3. हिरालाल पुत्र लालूराम
4. लीला पत्नी प्रकाशचन्द्र
5. पानीदेवी पत्नी भगाराम
6. लादुदेवी पत्नी जालाराम
7. श्यामलाल पुत्र मेहराराम
   7/1. पुखराज पुत्र स्व0 श्यामलाल
8. ओमाराम पुत्र नेनाराम
   8/1. श्रवणराम पुत्र स्व0 ओमाराम
9. भैराराम पुत्र मांगीलाल
10. सोहनलाल पुत्र मेहराराम
    10/1. विनोद कुमार पुत्र स्व0 सोहनलाल
    10/2. रामचन्द्र पुत्र स्व0 सोहनलाल
    10/3. पप्पुराम पुत्र स्व0 सोहनलाल
    10/4. रूपाराम पुत्र स्व0 सोहनलाल
11. अशोक पुत्र जोगाराम
12. पपली पत्नी लुम्बाराम
13. चेतनराम पुत्र मेहराराम
14. बेबी पत्नी नरसींगराम
15. भाकरराम पुत्र मुन्नाराम
16. बेबी पत्नी सुखाराम
    जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम दईजर, तहसील व जिला जोधपुर।
17. फुलीदेवी पत्नी श्रीराम गहलोत
    17/1. मोतीसिंह पुत्र श्रीराम, जाति गहलोत, निवासी ग्राम दईजर, तहसील व जिला जोधपुर।
18. मीमा पत्नी नत्थुराम, जाति भील, निवासी ग्राम दईजर, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कमरूदीन पुत्र नैन
2. अब्दुल रजाक पुत्र मोहम्मद
3. दाउद खां पुत्र मोहम्मद
   3/1. रोशन पुत्र दाउद खां
   3/2. जाकीर पुत्र दाउद खां
   3/3. अप्पु पुत्र दाउद खां
4. सुलेमान पुत्र मोहम्मद
   सभी जातियान घोसी मुसलमान, निवासी [illegible] चौक, जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत दईजर, ग्राम दईजर, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 25.12.1964 तत्कालीन ग्राम पंचायत माणकलाव वर्तमान ग्राम पंचायत दईजर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 03 के दादा के पक्ष में जारी किया गया।

<u>उपस्थिति :–</u>

1. अधिवक्ता श्री भवानीसिंह (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी व सांगाराम चौधरी (अप्रार्थी संख्या 01 ता 04)

<u>आदेश</u> दिनांक :–14.06.2024

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 25.12.1964 तत्कालीन ग्राम पंचायत माणकलाव वर्तमान ग्राम पंचायत दईजर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 03 के दादा के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत माणकलाव व ग्राम पंचायत दईजर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दईजर ने अपने पत्र क्रमांक 198 दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत दईजर में पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माणकलाव ने अपने पत्र क्रमांक 03 दिनांक 19.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत माणकलाव के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 29.05.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

पंचायत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम दईजर के स्थाई निवासी है। ग्राम के आबादी खसरा नम्बर 119 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा पर प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों के मकान व बाड़े बने हुए है तथा वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व से आज तक निरन्तर रहवास है। सन् 1999 में समस्त ग्रामवासियों ने खसरा नम्बर 119 की आबादी भूमि जो उनके स्वामित्व व कब्जे की थी। ग्राम पंचायत के जरिये उक्त खसरे पर रहवासीय योजन[illegible]ई जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

का नक्शा बनाकर स्वामित्व एवं कब्जाधारियों को भूमि के विक्रय विलेख जारी करने की योजना बनाई गई। योजना का नक्शा निगरानी के साथ संलग्न है जिसमें लाल कलर से मार्क प्रार्थीगण के मकानात है। उक्त योजना के अनुसार प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विक्रय विलेख जारी किये गए। अप्रार्थीगण माह अप्रेल 2022 के प्रथम सप्ताह में वादग्रस्त जायदाद पर जबरन कब्जा करने की नियत से मौके पर पहुँचे और बतलाया कि उनके पास उक्त जगह का पट्टा बना हुआ है जो कमरूदीन व उसके भाई मोहम्मद के नाम से है। अप्रार्थी अब्दुल रज्जाक नामक व्यक्ति ने परिवाद प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध में पुछताछ करने पर पुलिस अधिकारियों ने यह भी बतलाया की आप के खिलाफ परिवाद पेश किया है साथ ही बतलाया कि अप्रार्थीगण के पास दिनांक 10.10.2002 का आदेश है। प्रार्थीगण को दिनांक 05.04.2022 को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2002 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 73/1999 जिसमें प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी मुकदमें में पक्षकार नहीं बनाकर गलत, झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों को आधार बनाकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय को गुमराह कर डिक्री प्राप्त की। उक्त पट्टे से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री भवानी सिंह ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख) जिला जोधपुर के समक्ष वाद संख्या 73/1999 में दिनांक 19.07.2000 को ग्राम पंचायत माणकलाव के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जिसमें पंचायत ने लिखा है ''वादीगण के कब्जे व मिल्कियत तथा पट्टे की कोई भी जायदाद ग्राम दईजर तहसील जोधपुर की आबादी भूमि में नहीं है। प्रतिवादी ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा कभी भी वादी संख्या एक कमरूदीन व मोहम्मद के नाम से पट्टा संख्या 11 दिनांक 25.12.1964 को जारी नहीं किया गया था इस नाम की मिसल व ऐसा आबादी नक्शा प्रतिवादी के रिकॉर्ड में नही है। वादीगण ने उपरोक्त नाप व पड़ौस झूठे लिखे है न ही वादीगण का कभी भी कोई ऐसी जगह कब्जा रहा है, वादीगण ने झूठा दावा जमीन हड़पने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिज है। वादीगण द्वारा दायर इस दावे में जो पड़ौस व नाप बताये गये है उस जगह तो अन्य लोगो के पुराने कब्जे है तथा जिन्हें प्रतिवादी ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा पट्टे भी जारी किये गये है। वादीगण कभी भी ग्राम दईजर में आकर नहीं रहे है बल्कि वादीगण जोधपुर में रहते है अतः प्रतिवादी ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

माणकलाव की भूमि पर बाहर के व्यक्तियों का कोई भी हक नहीं बनता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने स्वयं स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण को निगरानीधीन पट्टा जारी नहीं किया गया।

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि दिनांक 21.04.2023 को ग्राम दईजर के आबादी के खसरा नम्बर 119 की मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि गई जिसमें ग्राम पंचायत ने बतलाया कि '' प्रार्थी श्री लुम्बाराम, लादुदेवी पत्नी श्री जालाराम, जुगलकिशोर पुत्र श्री भंवरलाल व अन्य के द्वारा ग्राम पंचायत दईजर की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 119 की आबादी के दायरे में आये हुए भूखण्डो की मौका रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैं उत्तर दिशा में 20 फीट रोड़ व पुरानी साल, पश्चिम दिशा में 20 फीट रोड़ है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत दईजर के खसरा नम्बर 119 की आबादी भूमि पर प्रार्थीगण का पीढियों से रहवास है प्रार्थीगण के भूखण्डो पर चार दीवारी बनाई हुई है जिसमें पशुधन, पशुओं का चारा व अन्य सामान रखा हुआ है। उक्त सभी भुखण्डो पर प्रार्थीगण का रहवास है। कुछ कच्चे व कुछ पक्के मकानात बने हुए है सभी प्रार्थीगण का अपने–अपने भूखण्डो पर रहवास है। जिस पर ग्राम विकास अधिकारी दईजर, संरपच दईजर, उपसंरपच व सभी वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है अप्रार्थीगण फर्जी पट्टे की आड़ में प्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि पर कब्जा करना चाहते है। फीट

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी ने लिखा है कि उक्त पटटे का नाप 150 X 200 फीट है लेकिन उक्त पटटे में लिखे 7500 वर्गगज के क्षेत्रफल का कथन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है जो 3 बीघा 18 बिस्वा होता है इसलिए पंचायत राज अधिनियम में इतने बड़े क्षेत्रफल का पट्टा किसी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अप्रार्थीपक्ष ने 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के सम्बन्ध में बतलाया कि ''जहाँ कोई दस्तावेज जिसको 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित करेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।'' यहाँ यह कथन आवश्यक है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा – 90 के तहत उक्त पट्टा को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

किया गया और उक्त पट्टे को किसी के हस्ताक्षर व अन्य भाग को प्रमाणित नहीं किया हैं किसी विभाग द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है इसलिए उक्त उपधारणा का विधि में कोई नियम नहीं दिया गया है। मूल पट्टा पेश होना न्यायालय के समक्ष आवश्यक है। एक दीवानी मूलवाद संख्या 73/1999 कमरूदीन व अन्य बनाम सरंपच ग्राम पंचायत माणकलाव जिसमें निर्णय दिनांक 10.10.2002 को हुआ, उक्त वाद में प्राथीगण पक्षकार नहीं है इसलिए उक्त निर्णय को मानने के लिए प्रार्थीगण बाध्य नहीं है। ग्राम पंचायत माणकलाव के जवाब से स्पष्ट है कि उक्त जगह पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है ना ही अप्रार्थीगण कभी ग्राम दईजर के निवासी रहे है। अप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड है एवं जिस भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण का उक्त पट्टा भूखण्ड का नहीं होकर खेत का पट्टा हैं जो फर्जी बनाया गया है उक्त जगह पर प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण के मकानात व बाड़े बने हुए है जो ग्राम पंचायत दईजर की मौका रिपार्ट दिनांक 21.04.2023 से स्पष्ट है।

प्रार्थीपक्ष ने निरन्तर बहस में बतलाया कि रमजान व अन्य ने ग्राम दईजर के आबादी खसरा नम्बर 119 का एक फर्जी पटट्ा दिनांक 15.10.1969 भूखण्ड संख्या 66 व 72 के पट्टे के आधार पर वाद पत्र संख्या 70/1999 बअनवान गनीखॉ व अन्य बनाम ग्राम पंचायत माणकलाव न्यायालय के समक्ष पेश किया जो दिनांक 10.10.2002 निर्णय व डिक्री किया गया था जिसमें मौके पर बैठे लोगो को पक्षकार नहीं बनाया गया था। मौके पर बैठे लोगो को पता लगने पर उक्त वाद को श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 02 जोधपुर के समक्ष दीवानी मूलवाद संख्या 128/2005 बअनवान हरीसिंह व अन्य बनाम रमजान व अन्य उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त हेतु पेश किया गया जिसमें अन्तिम निर्णय दिनांक 19.05.2022 को हुआ जिसमें प्रतिवादी की निर्णय व डिक्री को खारिज किया गया।

इसी प्रकार अब्दुल शकर व अन्य ने ग्राम दईजर के आबादी खसरा नं0 119 में जारी फर्जी पट्टा दिनांक 25.01.69 के आधार पर वाद पत्र संख्या 66/99 बअनवान अब्दुल शकर व अन्य बनाम ग्राम पंचायत माणकलाव न्यायालय के समक्ष पेश किया जो दिनांक 25.09.2002 को निर्णय एवं डिक्री किया गया जिसमें भी मौके पर बैठे लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिसके विरूद्ध अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायालय संख्या तीन जोधपुर महानगर के समक्ष एक अन्य दीवानी मूल वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 09/2006 अबनवान आईदानराम व अन्य बनाम अब्दुल शकर व अन्य पेश किया गया जिसमें वाद पत्र संख्या 66/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2002 को खारिज किया गया। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018 (4) आर0एल0 डब्लू0 पेज नं0 3326, 2022 (एस0सी0) ए0आई0आर0 पेज नं0 4705 तथा माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा एस0 बी0 सिविल रिट पीटीशन संख्या 3701/2022 बअनवान रोशनलाल बनाम राजस्थान सरकार पारित निर्णय दिनांक 22.04.2022 पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण को ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है जिसके आधार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला जोधपुर द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 73/99 बअनवान कमरूदीन वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत माणकलाव में ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 11 दिनांक 25.12.1964 को सही मानते हुए उक्त पट्टे के आधार पर दिनांक 10.10.2002 को कमरूदीन व अन्य के पक्ष में इस आशय का निर्णय एवं डिक्री पारित की गई '' अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी वादी को वादपत्र संख्या 1 में वर्णित हदूद के भूखण्ड से बेदखल नहीं करे एवं उस पर वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार दखल, हस्तक्षेप न तो स्वयं करे, न अन्य किसी से करावें। '' इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है।

अप्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थीगण ने करीब 58 साल बाद निगरानी पेश कर पट्टा संख्या 11 दिनांक 25.12.1961 को ग्राम पंचायत माणकलाव द्वारा जारी किया गया को चुनौती दी जबकि विधि का प्रावधान धारा 90 साक्ष्य अधिनियम 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में स्पष्ट है कि ''जहाँ कोई दस्तावेज जिसको 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित करेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।'' बहस के अन्त में प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रथमतः ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दईजर ने अपने पत्र क्रमांक 198 दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत दईजर में रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माणकलाव ने अपने पत्र क्रमांक 03 दिनांक 19.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत माणकलाव के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। द्वितीयतः इसी प्रकार के पट्टा विलेखों के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा पट्टाधारकों के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया गया। उक्त दावों में पट्टाधारकों द्वारा मौके पर रहवासीय व्यक्तियों को पक्षकार न बनाकर केवल ग्राम पचांयत को पक्षकार बनाया गया, उक्त डिक्री की मौके पर रहने वालों व्यक्तियों को होने पर उसे चुनौती दी गई तथा सिविल न्यायालय द्वारा पट्टाधारकों के पक्ष में जारी डिक्री बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में स्पष्ट किया गया कि '' राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी'' अतः पट्टे की वैधानिकता देखना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है ना कि सिविल न्यायालय का। तृतीयतः निगरानी पट्टे की फोटोप्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 के दादा को 7500 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया जो पंचायती राज नियमों में किसी भी स्थिति में किसी निजी व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता है तथा निगरानीधीन पट्टा में पंचायत का संकल्प संख्या व उसकी दिनांक अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करते समय कोई संकल्प नहीं लिया गया साथ ही अप्रार्थीगण के पट्टे में खसरा नम्बर भी नहीं लिखे हुए है जिससे उक्त पट्टा कूटरचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 के नियमों की अवहेलना की गई। दिनांक 21.04.2023 को ग्राम दईजर के आबादी के खसरा नम्बर 119 की मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश हुई जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत दईजर के खसरा नम्बर 119 की आबादी भूमि पर प्रार्थीगण का पीढियों से रहवास है प्रार्थीगण के भूखण्डो पर चार दीवारी बनी हुई है जिसमें पशुधन, पशुओं का चारा व अन्य सामान रखा हुआ है। उक्त सभी भुखण्डो पर प्रार्थीगण का रहवास है। कुछ कच्चे व कुछ पक्के मकानात बनने हुए है सभी प्रार्थीगण का अपने–अपने भूखण्डो पर रहवास है। जिस पर ग्राम विकास अधिकारी दईजर, संरपच दईजर, उपसंरपच व सभी वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्ट्रान्त 2018 (4) आर.एल. डब्लू पेज नम्बर 3326 बअनवान इस्साक खान बनाम राजस्थान सरकार में बतलाया कि ''राजस्थान पंचायती राज नियमावली 1996 नियम 157 अपीलार्थी के कब्जे में आबादी भूमि पर निर्मित पुराने मकान का पट्टा जारी करना पुराने मकानो का नियमितीकरण–नियम निर्माण शुरू होने होने से पूर्व निर्मित पुराने मकान से आच्छादित भूमि पर कब्जे के नियमितीकरण की अनुमति देता है। नियम और खाली भूखण्ड पर कब्जा नही – दस्तावेज का पंजीकरण अपने आप में सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं देता है – ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे के पंजीकरण के प्रभाव में आते हुए, यह कहना पर्याप्त है कि दस्तावेज का पंजीकरण अपने आप में सपत्ति पर कोई शीर्षक प्रदान नहीं करता है और इस प्रकार, यदि अपीलकर्ता विविादत भूमि पर अधिकार का दावा कर रहा था तो वह पट्टा अवैध और शून्य पाया जाता है राज्य सरकार धारा 97 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकती है अधिनियम ग्राम पंचायत के निर्णय को रदद् करने के अपने अधिकार क्षेत्र में था, जिसके अनुसरण में अपीलकर्ता विवादित सपत्ति पर अधिकार का दावा कर रहा था– पटटा रदद् करने में कोई हस्तक्षेप नही – इसलिए, अपील खारीज कर दी गई।'' न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 2022 (एस.सी.) पेज नम्बर 4705 बअनवान रामकुमार बनाम उत्तर प्रदेश में अभिनिर्धारित किया गया है कि ''उचित मूल्य की दुकान के लाईसेंस की बहाली–वाद के आवंटी द्वारा अपील–आवश्यक पार्टी के गैर शामिल होने की दलील – आयोजित आवश्यक पार्टी वह व्यक्ति है जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नही की जा सकती – यदि आवश्यक पार्टी को पक्षकार नहीं बनाया गया है वाद स्वंय खारिज होने के उत्तदायी है।'' माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 3701 / 2022 बअनवान रोशनलाल बनाम राज. सरकार में अभिनिर्धारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

गया है कि '' राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1961 के तहत दिनांक 25.04.1984 को बापी पट्टा जारी किया गया जो 3333.33 वर्गगज था उसको निरस्त किया गया है। प्रकरण में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त ग्राह्य योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 25.12.1964 तत्कालीन ग्राम पंचायत माणकलाव वर्तमान ग्राम पंचायत दईजर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 कमरूदीन, 02 व 04 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 03 के दादा मोहम्मद के पक्ष में जारी किया गया, जो निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूपः पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested